Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding redressal of grievances of EPS-95 Pensioners-laid.

श्री अजय मिश्र टेनी (खीरी): ईपीएस 95 के पेंशनर्स की संख्या लगभग 65 लाख है । जिसमें आधे से अधिक पेंशनर्स को मात्र 200 रुपये से 1500 रुपये तक की पेंशन मिल रही है, जिसमें इनका सामान्य गुजारा संभव नहीं है । वहीं बुजुर्ग एवं कमजोर लोगों के लिए मेडिकल सुविधा भी नहीं है, जिससे यह सम्मानित जीवन हेतु संघर्ष कर रहे हैं । इसी क्रम में इन्होंने अपने संगठन के माध्यम से अनुशासित धरना प्रदर्शन सहित प्रतिनिधि मंडलों के माध्यम से माननीय श्रम मंत्री व माननीय राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय आदि के माध्यम से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाया है । इनकी प्रमुख मांगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04.10.2020 के अनुसार सम्पूर्ण वेतन पर अंशदान स्वीकार कर राशि बढ़ाने सहित पेंशनधारक उनके पति/पत्नी को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करने सहित ऐसे सेवानिवृत्त कामगारों जिनको इस योजना में शामिल नहीं किया गया है, के अंशदान स्वीकार कर व सेवा अवधि को देखते हुए, को भी पेंशन सुविधा दी जाए ।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि उक्त विषय की गंभीरता व आवश्यकता को संज्ञान में लेते हुए निर्देश देने की कृपा करें ।